संख्या-63/2022/आई0/150535/2022-5-6099/285/2022-6-

प्रेषक

प्राणेश चन्द्र शुक्ल,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
उत्तर प्रदेश लखनऊ ।

चिकित्सा अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 28 मार्च, 2022

विषय:-वित्तीय वर्ष, 2021-22 में अनुदान संख्या-32 के अन्तर्गत "पं0 दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना" हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अग्रिम आहरण की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-17फ/नि0ब0/2021-22/460, दिनांक 04.02.2022 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-32 के अन्तर्गत "पं0 दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना" हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रिवाल्विंग फण्ड के लिये रूपये 1000.00 लाख एवं कार्ड इत्यादि के लिये रूपये 500.00 लाख अर्थात कुल रूपये 1500.00 लाख (रूपया पन्द्रह करोड़ मात्र) की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) उक्त धनराशि के अग्रिम आहरण किये जाने पर वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-17/2017/ए-1-1027/दस-2017-10(55)/2017, दिनांक 15.11.2017 तथा उसके साथ संलग्न शासनादेश दिनांक 25.10.1983, 10.06.2011 तथा 18.09.2017 में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(2) प्रश्नगत धनराशि का आहरण आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा।
(3) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गयी व्यवस्थानुसार जो सरकारी कर्मचारी/अधिकारी धन को आहरित करेगा, वही उसके समायोजन हेतु भी जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है तो उसके लिये भी सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी/अधिकारी जिम्मेदार होगा।
(4) पूर्व में दी गयी समस्त अग्रिम धनराशि का समायोजन दिनांक 31.03.2021 तक अवश्य कर लिया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि का समायोजन कराते हुये महालेखाकार के पुस्तांकित आंकडों में भी समायोजन सुनिश्चित कराते हुये वित्त विभाग को अवगत कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(5) किसी भी अन्य अग्रिम भुगतान के लिये वित्त विभाग की सहमति प्राप्त की जानी होगी।

(6) धनराशि के व्यय में सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा उसका व्यय उसी प्रयोजन में किया जायेगा, जिस हेतु इसका प्राविधान किया गया है।

(7) धनराशि संस्था को निर्गत किये जाने के दिनांक से उनके द्वारा वास्तविक उपयोग किये जाने की तिथि तक अर्जित ब्याज को राजकोष में जमा कराया जायेगा।

2. उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष, 2021-2022 में अनुदान संख्या-32 के अन्तर्गत "लेखाशीर्ष, 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-आयोजनागत-01-शहरी स्वास्थ्य सेवायें-एलोपैथी-110-अस्पताल तथा औषधालय-09 राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना 49-चिकित्सा व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग की अ0शा0 संख्या-वित्त ई0-3-3539/दस-2021-22, दिनांक 28 मार्च, 2022 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,
प्राणेश चन्द्र शुक्ल
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिप निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ ।
4- निदेशक (चिकित्सा उपचार), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ ।
5- अपर निदेशक (नियोजन/बजट) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उ0प्र0, लखनऊ।
6- संबंधित कोषाधिकारी ।
7- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, चतुर्थ तल, नवचेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ ।
8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन ।
9- चिकित्सया अनुभाग-1/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
प्राणेश चन्द्र शुक्ल
संयुक्त सचिव।

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।